संख्या– 012 /IV(2)-श0वि0–2015–74(सा0)–2014

प्रेषक,

डी0एस0 गर्ब्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 23 मई, 2016

विषयः **स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत स्मार्ट सिटी के प्रस्ताव हेतु अवशेष धनराशि राज्य आकस्मिकता निधि से स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 776/IV(2)–श0वि0–2016–74 (सा0)/14, दिनांक 17.05.2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि ₹ 200.00 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के साथ–साथ प्रथम किस्त के रूप में ₹ 66.67 लाख अवमुक्त किये जा चुके हैं।

उपरोक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 के लेखानुदान में उक्त प्रयोजनार्थ कोई धनराशि अवशेष न होने के कारण उक्त व्यय आवश्यक एवं अपरिहार्य होने के दृष्टिगत उक्त शासनादेश दिनांक 17.05.2016 के क्रम में स्मार्ट सिटी योजना का प्रस्ताव/डी0पी0आर0 तैयार किये जाने हेतु अवशेष धनराशि **₹ 133.33 लाख (₹ एक करोड़ तैंतीस लाख तैंतीस हजार मात्र)** को 'राज्य आकस्मिकता निधि' से अग्रिम के रूप में आहरित कर व्यय किए जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(i) उक्त धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु समायोजन का प्रस्ताव आगामी अनुपूरक अनुदान/नई मांग के द्वारा यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(ii) उक्त धनराशि कुल ₹133.33 **लाख (₹ एक करोड़ तैंतीस लाख तैंतीस हजार मात्र)** आपके द्वारा आहरित कर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलबध करायी जायेगी।

(iii) धनराशि व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

(iv) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यावर्तन अन्य मदों में नहीं किया जायेगा एवं मितव्ययिता की मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जायेगा।

(v) उपरोक्त योजनान्तर्गत यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से करा लिया गया है, तो उक्त कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय।

(vi) धनराशि का दिनांक 31–3–2017 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्यों का कार्यवार वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

कमशः/2.

(vii) उक्त धनराशि के नियमानुसार शत–प्रतिशत सदुपयोग हेतु सम्बन्धित अधिकारी पूर्णतया उत्तरदायी होंगे।

(viii) धनराशि का दिनांक 31.03.2017 तक पूर्ण उपयोग कर कार्यों का कार्यवार वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

2– उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016–17 के प्रथमतः लेखाशीर्षक "8000–आकस्मिकता निधि–लेखा–201–समेकित निधि" के विनियोजन तथा अन्ततः अनुदान संख्या–13 के लेखाशीर्षक 2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–12–स्मार्ट सिटी योजना–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0–120/XXVII(2)/2016, दिनांक 20 मई, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न–अलॉटमेन्ट आई0डी0: S..1605990010.....

भवदीय,

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव।

रा0आ0नि0सं0– 127/XXVII(1)/2015, दि0– 23 मई, 2016 ।

प्रतिलिपि महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय बिल्डिंग , माजरा, देहरादून को एक अतिरिक्त प्रति सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

आज्ञा से,

ह0/–

(अभिषेक स्वामी)
अपर सचिव, वित्त

सं0–812 (1)/IV(2)-श0वि0–2016–74(सा0)/14, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मा0 शहरी विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5. जिलाधिकारी, देहरादून।
6. उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–1/2 उत्तराखण्ड शासन।
9. संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि शहरी विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
11. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड फाईल ।
13. वित्त नियंत्रक/अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।

आज्ञा से,

(डी0एस0एस0 राणा)
उप सचिव।

Letter. GO.doc